(1)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

15 JUL 2013

क्रमांक/एफ–17–121/2011/25–2/ रायपुर, दिनांक/ /07/2013

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
रायपुर

विषय :– नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली 2011 में संशोधन।

संदर्भ:– आपका पत्र क0/यूथ हास्टल/2012–13/15012, दिनांक 19–03–2013

–0–

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02–04–2012 द्वारा "नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली–2011" जारी किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा "नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली–2011" में संशोधन किया जाता है, जो संलग्न है। यह संशोधन शिक्षा सत्र 2013–14 से प्रभावशील होगा।

3/ इस स्वीकृति पर छ0ग0 शासन, वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक /315–25–00077/वित्त विभाग/ब–3/2013, दिनांक 06–07–2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/7/13
(डी0डी0कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथाअनु0जा0वि0विभाग

DC (Genl)
Q. 297
क्र. 1549
दि. 29/07/13

क्रमशः //2//

पृ0क्र0/एफ–17–121/2011/25–2/ रायपुर, दिनांक 15 JUL 2013 /07/2013

प्रतिलिपि–

1/ स्टाफ आफीसर, माननीय मुख्य मंत्री सचिवालय छ0ग0 शासन।

2/ निज सहायक, माननीय मंत्री, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।

3/ निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।

4/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।

5/ सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

6/ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।

7/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासनविभाग/वित्त विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/

8/ आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर छ0ग0।

9/ संभागीय आयुक्त/रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर छ0ग0।

10/ सर्व कलेक्टर जिला——————————छ0ग0।

11/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत——————————छ0ग0।

12/ सर्व परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना—————— जिला——————छ0ग0।

13/ सर्व सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास——————————छ0ग0।

14/ प्रशासकीय अधिकारी, ट्रायबल यूथ हास्टल, द्वारका नई दिल्ली।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथाअनु0जा0वि0विभाग

नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल मे प्रवेश एवं संचालन नियमावली 2011 मे संशोधन बाबत्।

क्रमांक	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1.	कंडिका 7 (1) :– अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी के लिये कोचिग संस्थानों मे प्रवेशित विद्यार्थियो को प्रवेश तिथि से अधिकतम तीन बार परीक्षा मे बैठने की अवधि तक संस्थान मे निवास की पात्रता होगी। किन्तु प्रवेश अवधि में विद्यार्थियो का आचरण संतोषजक न होने की स्थिति में प्रवेश, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर उक्त अवधि मे पूर्व भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विभागीय आयुक्त को प्राप्त होगा।	कंडिका 7 (1) :– अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी के लिये कोचिग संस्थानों मे प्रवेशित विद्यार्थियो को प्रवेश तिथि से अधिकतम दो बार परीक्षा मे बैठने की अवधि तक छात्रावास मे 2 वर्ष निवास की पात्रता होगी। किन्तु प्रवेश अवधि में विद्यार्थियो का आचरण संतोषजक न होने की स्थिति में प्रवेश, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर उक्त अवधि के पूर्व भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विभागीय आयुक्त को प्राप्त होगा ।
2.	कंडिका 9 (6) :– प्रवेशित विद्यार्थियो के माता–पिता को प्रवेश/प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली प्रवास पर वर्ष में दो बार यूथ हास्टल में तीन दिवस तक रहने एवं खाने की सशुल्क सुविधा दी जा सकेगी।	कंडिका 9 (6) :– प्रवेशित विद्यार्थियो के माता–पिता को प्रवेश/प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली प्रवास पर वर्ष में एक बार यूथ हास्टल में तीन दिवस तक रहने एवं खाने की सशुल्क सुविधा को आवास में कमरो की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकेगी । तत्संबंध मे छात्रावास की व्यवस्था अनुरूप सहायक आयुक्त (प्रशासनिक अधिकारी), यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा ।

नवीन प्रावधान – छात्रों के लिए आवश्यक शर्ते/नियम

कंडिका– 13

(1) यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से छात्र को अनुपस्थित या विलंब रहना पड़ता है तो सहायक आयुक्त (प्रशासनिक अधिकारी) से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

(2) बगैर सूचना कक्षा से अनुपस्थित या विलंब होने पर अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकेगा।

(3) किसी भी छात्र द्वारा अवकाश के संबध में 10 दिवस पूर्व से सूचना देना अनिवार्य होगा।

(4) प्रतिदिन सुबह एवं शाम अवकाश के दिनों में भी रोलकाल (उपस्थिति दर्ज) कराना होगा।

(5) कोई भी प्रतियोगी छात्र कक्षा/पीरियड, भोजन, कोई सभा/मीटींग, में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(6) सहायक आयुक्त (प्रशासनिक अधिकारी) द्वारा संस्थाओं का नियमित भ्रमण कर छात्रों के अध्ययन–अध्यापन की समीक्षा की जाती रहेगी।

(7) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर एवं किसी भी आपराधिक या अवांछनीय प्रकरण में लिप्त पाये जाने पर कोचिंग से उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

कमशः // 2 //

(8) छात्रावास में प्रवेशित छात्र द्वारा अल्कोहल, ड्रग्स, अन्य नशीले पदार्थों तथा तम्बाकू का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा। सेवन करते पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, साथ ही उदण्डता के व्यवहार के लिए भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(9) छात्रावास प्रवेश के समय प्रदायित सामग्रियां छात्रावास छोड़ते समय उसी स्थिति में वापसी मान्य होंगी।

(10) छात्रावास में हिंसा/मारपीट अथवा छात्रावास एवं छात्रवास की सामग्री को क्षति/हानि पहुंचाने पर हानि की भरपाई के साथ ही छात्रावास से निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।

(11) छात्रावास भवन में रखी प्रत्येक सामग्री के सुरक्षा का दायित्व सभी विद्यार्थीयों को होगा।

(12) प्रत्येक छात्रावासी से छात्रावास में सद्भाव, आपसी समन्वय, एकता एवं सौजन्यता अपेक्षित है।

(13) छात्रावास में किसी भी प्रकार के जातिसूचक, धर्मसूचक, संस्कृति तथा अपमानजनक शब्दों एवं विकलांग को ठेस पहुचाने वाले शब्दों का प्रयोग पूर्णत वर्जित होगा।

(14) छात्रावास परिसर में पोर्नग्राफी सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में (मोबाईल अथवा कम्प्यूटर सहित) वर्जित होगा। उपयोग पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।

(15) किसी भी छात्र द्वारा रैगिंग करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही एवं छात्रावास से निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्र एवं पालक की होगी।

(16) प्रत्येक छात्र को पूर्ण मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र देना होगा। छात्र को यदि किसी प्रकार की ऐलर्जी/अनुवांशक फिटस आदि की बीमारी है तो अपने प्रवेश फार्म में दर्शाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। यदि आकस्मिक रूप से पुरानी गंभीर बीमारी का पता चला तो तत्काल प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

(17) किसी भी प्रकार के अपराध/बाजार में उधारी आदि के लिए छात्रावास के अन्य विद्यार्थी अथवा छात्रावास का स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा एवं इस कृत्य के लिए संबंधित छात्र के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।

(18) पालक/अभिभावक जिन्हे प्रवेश के समयं फार्म में नामांकित किया गया हो उनसे मिलने के लिए नियमानुसार निर्धारित तय समय में ही मुलाकात होगी।

(19) समस्त छात्र स्वंय की शारीरिक, कमरे की सफाई अनिवार्यतः करेंगे।

(20) छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार के अनावश्यक आयोजन (पार्टी, जन्म दिवस आदि) नहीं किये जा सकेंगे।

(21) सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार के बन्द/रैली अथवा हड़ताल के समय छात्र यथा संभव छात्रावास नहीं छोड़ने संबंधी निर्देश का पालन करेंगे।

(22) छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र रखने का प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा करते पाया गया तो निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः // 3 //

(23) अपने महंगे सामानों यथा लेपटाप,कम्प्यूटर आदि की सुरक्षा के लिए छात्र स्वंय उतरदायी होंगे।

(24) छात्रावास के अभ्यर्थी सदैव इस बात का ध्याान रखें कि कमरे से बाहर निकलते समय विद्युत के समस्त स्वीच अनिवार्यतः बंद हो।

(25) छात्रावासी को किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में छात्रावास अधीक्षक को तत्संबंध में सूचना देना होगा।

(26) शासन द्वारा छात्रावास एवं छात्रावास के संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तो का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

(27) प्रवेश के समयं प्रत्येक चयनित छात्र को इनडैमनिटी बाण्ड (क्षतिपूर्ति बाण्ड) समस्त शर्तो को मान्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

(28) निर्धारित चयनित समायावधि पश्चात छात्रावास में रूकना/रूकवाना गैरकानूनी होगा।

(29) उपरोक्तानुसार प्रावधानों के उल्लंघन पर छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान से निष्कासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(30) छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।

(31) छात्रावास में चयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में अनियमितता पाये जाने पर प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

(32) छात्रावास के भीतर किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय सहायक आयुक्त (प्रशासनिक अधिकारी), यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली का होगा।

नवीन प्रावधान – निम्नानुसार अंतस्थापित किया जावेगा

कंडिका क्र. 14

(1) यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली के संचालन हेतु निम्नानुसार संचालन समिति होगी । यह समिति यूथ हॉस्टल संचालन संबंधी निर्णय कर सकेगा।

1. आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.वि. – अध्यक्ष
2. अपर संचालक प्रशासन/योजना – सदस्य
3. संयुक्त संचालक (वित्त), आ.जा. तथा अनु.जा.वि. – सदस्य
4. योजना प्रभारी अधिकारी –सदस्य सचिव
5. सहायक आयुक्त (प्रशा. अधिकारी) ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली, – सदस्य

(डी0डी0कुजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथाअनु0जा0वि0विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ–17–121/2011/25–2/ रायपुर, दिनांक/ /03/2012

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
रायपुर

विषय :– नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली 2011.

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली, द्वारका स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु संचालित उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत एवं अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व तैयरी करवाने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु नई दिल्ली स्थित उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों का उच्च मनोबल एवं अभिप्रेरणा स्तर बनायें रखने बाबत सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत "नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली–2011" बनाया गया है, जो संलग्न है। यह नियम शिक्षा सत्र 2012–13 से प्रभावशील होगा।

2/ इस स्वीकृति पर छ0ग0 शासन, वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक /205/00003372/वित्त विभाग/ब–3/2012 दिनांक 29–03–2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी0डी0कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथाअनु0जा0वि0विभाग

क्रमशः //2//

(४)

क्रमांक / एफ-17-121 / 2011 / 25-2 / रायपुर, दिनांक / 2 APR 2012 / 03 / 2012

प्रतिलिपि–

1/ स्टाफ ऑफीसर, माननीय मुख्य मंत्री सचिवालय छ0ग0 शासन।

2/ निज सहायक, माननीय मंत्री, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।

3/ निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।

4/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।

5/ सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

6/ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।

7/ अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग / उच्च शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग /

8/ आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर छ0ग0।

9/ संभागीय आयुक्त / रायपुर / बिलासपुर / सरगुजा / बस्तर छ0ग0।

10/ सर्व कलेक्टर जिला—————————छ0ग0।

11/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत—————————छ0ग0।

12/ सर्व परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना——————जिला——————छ0ग0।

13/ सर्व सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास—————————छ0ग0।

14/ प्रशासकीय अधिकारी, ट्रायबल यूथ हास्टल, द्वारका नई दिल्ली।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथाअनु0जा0वि0विभाग

नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हास्टल में प्रवेश एवं संचालन नियमावली–2011

1. <u>संक्षिप्त नाम</u> :– यह नियम नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति यूथ हास्टल का संचालन नियम 2011 कहलायेगा।

2. <u>उद्देश्य</u> :– देश की राजधानी नई दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु संचालित उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी करवाने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य होगा। आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु नई दिल्ली स्थित उत्कृष्ठ कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को तैयारी के दौरान उच्च मनोबल एवं अभिप्रेरणा स्तर बनाये रखने बाबत् सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जायेगा।

3. <u>कार्यक्षेत्र</u> :– इस योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

4. <u>लक्ष्य समूह</u> :– युवा कैरियर निर्माण योजना के प्रावधान अंतर्गत चयनित होकर नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानों में अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी एवं नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय शिक्षण संस्थानों में विशिष्ट पोस्ट मैट्रिक पाठ्यकमों में प्रवेशित विद्यार्थी तथा अखिल भारतीय सिविल सेवा के अतिरिक्त अन्य अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु दिल्ली आकर कोचिंग करने वाले अथवा मात्र परीक्षा देने वाले इस योजना हेतु लक्ष्य समूह के रूप में मान्य होंगे।

5 <u>रहवासी विद्यार्थियों के चयन की प्रकिया</u> :–

(I) युवा कैरियर निर्माण योजना प्रावधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु चयनित होकर नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश की पात्रता होगी।

(II) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्तर के शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के पोस्ट मैट्रिक पाठ्यकमों हेतु मेरिट के आधार पर चयनित एवं प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर संस्था में प्रवेश हेतु चयन सूची तैयार की जावेगी।

(14)

III) प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ अर्हतादायी बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र तथा नई दिल्ली स्थित शासकीय/मान्यता प्राप्त गैर शासकीय शिक्षण संस्थान से पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी अनुमति पत्र संबंधित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही संबंधित शैक्षणिक संस्था में आवासीय व्यवस्था न होने अथवा आवासीय व्यवस्था में स्थान रिक्त न होने बाबत संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(IV) उपलब्ध रिक्त स्थान से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्रमशः विशिष्ट संस्थानों, विशिष्ट पाठ्यक्रमों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तदोपरांत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(V) दिल्ली आकर अखिल भारतीय सिविल सेवा के अतिरिक्त अन्य अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग करने वाले अथवा परीक्षा देने वाले आवेदकों से सीधे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी ।

6 <u>सीटों का आरक्षण</u> :—

(I) छात्रावास हेतु स्वीकृत **100 सीट** में से **50 सीटें** अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु तथा **25 सीटें** नई दिल्ली स्थित शिक्षा संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये तथा **25 सीटें** विभिन्न अन्य अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं यथा भारतीय वन सेवा (आई0एफ0एस0) भारतीय आर्थिक एवं सांख्यिकीय सेवा (आई0ई0एस0 एवं आई0एस0एस0) भारतीय भू-वैज्ञानिक सेवा (आई जी0 एस0) गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट फॉर इंजीनियर्स) इत्यादि तथा बैंक की प्रोबेशनरी अधिकारी परीक्षा हेतु दिल्ली आकर कोचिंग करने वाले अथवा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिये आरक्षित होगी।

(II) छात्रावास हेतु स्वीकृत <u>कुल 100 सीट</u> में <u>से 50 सीट</u> अनुसूचित जनजाति के लिए <u>30</u> सीट्स अनुसूचित जाति के लिये <u>20</u> सीट्स अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित होगी।

(III) उपरोक्तानुसार कंडिका एक एवं दो अनुसार आरक्षित स्थानों के विरूद्ध पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में संस्थान में प्रवेश प्रदाय हेतु गठित "प्रवेश समिति" की अनुशंसा पर सीटों की पूर्ति अन्य वर्ग के <u>विद्यार्थियों से करने बाबत आयुक्त आदिवासी विकास</u> को विशेष अधिकार होगा।

7. प्रवेश की अवधि :—

(I) अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी के लिये कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश तिथि से अधिकतम तीन बार परीक्षा में बैठने की अवधि तक संस्थान में निवास की पात्रता होगी। किन्तु प्रवेश अवधि में विद्यार्थियों का आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में प्रवेश, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर उक्त अवधि के पूर्व भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विभागीय आयुक्त को प्राप्त होगा।

(II) नई दिल्ली स्थित शिक्षा संस्थानों के पी.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की अवधि तक छात्रावास में निवास की पात्रता होगी, किन्तु प्रतिवर्ष नवीन शिक्षा सत्र के लिये नवीनीकरण बाबत् विद्यार्थी द्वारा विगत परीक्षा की अंकसूची लगाकर सादे कागज पर आवेदन दिया जायेगा, प्रवेश अवधि में विद्यार्थियों का आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में अनुशासन समिति की अनुशंसा पर उक्त अवधि के पूर्व भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विभागीय आयुक्त को प्राप्त होगा।

(III) अखिल भारतीय सिविल सेवा के अतिरिक्त अन्य अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली आकर परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग करने वाले छात्रों को उनके आवेदन पत्र में दर्शित परीक्षा, जिसकी तैयारी के लिए उनके द्वारा नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिया गया हो, परीक्षा संपन्न होने की तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी।

8. प्रवेश समिति :— संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ0ग0 की अध्यक्षता में निम्नानुसार सदस्यों की समिति गठित की जायेगी :—

1.	संस्था में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी	—	सदस्य
2.	अपर संचालक, प्रशासन / योजना	—	सदस्य
3.	योजना प्रभारी अधिकारी	—	सदस्य / सचिव

9. आवासीय विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधायें :—

(I) संस्था के लिये चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।

(II) प्रवेशित विद्यार्थियों के उपयोग हेतु पलंग, गद्दा, चादर, कंबल, कुर्सी, मेज, इत्यादि सामग्री प्रवेश के समय प्रदान की जायेगी जो संस्था छोड़ते समय वापसी योग्य होगी।

(16)

(III) रहवासी विद्यार्थियों के लिये संस्था में सशुल्क मेस संचालित होगा। रहवासी विद्यार्थियों को मेस में शामिल होना अनिवार्य होगा।

(IV) छात्रावास में स्टोव, गैस सिलेंडर, हीटर इत्यादि रखना एवं उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(V) छात्रावास परिसर में धुम्रपान/मद्यपान करना वर्जित है।

(V) प्रवेशित विद्यार्थियों के माता–पिता को प्रवेश/प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली प्रवास पर वर्ष में दो बार यूथ हास्टल में तीन दिवस तक रहने एवं खाने की सशुल्क सुविधा दी जा सकेगी।

(VI) मेस संचालन हेतु संस्था का चयन EOI बुलाकर किया जायेगा। EOI का प्रकाशन एवं संस्था चयन की कार्यवाही आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा की जायेगी।

10. योजना की मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण :–

(I) संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों की सफलता की निगरानी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिन–प्रतिदिन की जाकर मासिक प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(II) प्रत्येक त्रैमास में योजना के प्रगति की समीक्षा की जाकर आयुक्त कार्यालय द्वारा शासन को प्रतिवेदन प्रेषित किया जावेगा।

(III) यथा संभव 3 माह में एक बार आयुक्त अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जायेगा।

11. निरसन/संशोधन:– इन नियमों में वर्णित उपबन्धों में आवश्यकतानुसार इपरिवर्तन, संशोधन, निरसन का पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का होगा।

12. वित्तीय व्यवस्था :– योजना पर व्यय मांग संख्या 41/2202/1398, मांग संख्या 64/2202/4717 एवं 66/2225/1395 छात्रावास अंतर्गत विकलनीय होगा।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छ0ग0 शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर